कार्यालय-प्राचार्य,शासकीय नवीन महाविद्याय झलमला जिला-कबीरधाम (छ.ग.)

कमांक / 71 /स्था. / अतिथि व्या. / 2025

झलमला, दिनांक 12.08.2025

// अतिथि व्याख्याता एवं अन्य हेतु विस्तृत विज्ञापन का प्रारुप //

कार्यालय आयुक्त, उ.शि. संचालनालय रायपुर का पत्र कमांक 574/126 /आउशि/राज. स्था/ 2024 नवा रायपुर दिनांक 06/07/2024 के अनुसार शासकीय नवीन महाविघालय झलमला, जिला – कबीरधाम छ. ग. पिन 491995 में विषय हिंदी साहित्य में अध्यापन व्यवस्था हेतु योग्य एवं निर्धारित अर्हताधारी आवेदकों से अतिथि व्याख्याता / अतिथि शिक्षण सहायक हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदक अपने समस्त प्रमाण-पत्र एवं आवश्यक दस्तावेज के साथ आवेदन दिनांक 20/08/2025 को सायं 5:00 बजे तक केवल रजिस्टर्ड डाक अथवा वाहक के हस्ते (कार्यालय से पावती प्राप्त करें) प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।

टीप:- उक्त अध्यापन व्यवस्था अतिथि व्याख्याता के अध्ययन अवकाश लिए जाने के कारण किया जा रहा है। अतः यह व्यवस्था उनकी वापसी दिनांक 21 निवम्बर 2025 तक के लिए ही होगी। वापसी पश्चात अध्यापक कार्य समाप्त कर दी जायेगी।

अतिथि व्याख्याता नीति – 2024 का अध्ययन महाविद्यालय के सूचना पटल / वेबसाइट www.gpducollegejhalmala.in से अवलोकन किया जा सकता है। आवश्यक शैक्षणिक एवं अन्य अर्हता :-

- 1. अतिथि व्याख्याता / अतिथि शिक्षण सहायक को कार्य करने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य शैक्षिक कर्मचारी की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हताएं तथा उच्चतर शिक्षा में मानकों के रख-रखाव हेतु अन्य उपाय) संबंधी विनियम, 2018 के प्रावधानों के अनुरूप होगी। इस व्यवस्था के अंतर्गत अतिथि व्याख्याता / अतिथि शिक्षण सहायक के लिये स्नातकोत्तर स्तर पर न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक होने चाहिए परन्तु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के लिये स्नातकोत्तर स्तर पर न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक होने चाहिए।
- 2. आयु सीमा अतिथि व्याख्याता/अतिथि शिक्षण सहायक अधिकतम 65 वर्ष तक।
- 3. छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जायेगी।

विषय /पदों का विवरण :-

क	विषय	प्राध्यापक के विरूद्ध	सहायक प्राध्यापक के विरूद्ध	कुल पदों की संख्या
1.	हिन्दी	-	01	01

टीप :- संबंधित विषयों में नवीन नियुक्ति / नियमित पदस्थापना या स्थानांतरण के फलस्वरुप पद भर जाने पर उक्त पद के विरूद्ध कार्यरत अतिथि व्याख्याता एवं अन्य की सेवा स्वतः समाप्त हो जावेगी।

कार्यालय-प्राचार्य,शासकीय नवीन महाविद्याय झलमला जिला-कबीरधाम (छ.ग.)

शर्ते :-

- 01. आवेदन के साथ मूल निवासी प्रमाण पत्र, 10 वीं, 12 वीं, स्नातक, स्नातकोत्तर, सेट/नेट, एम. फिल./पी-एच.डी. अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करें।
- 02. दिनांक 20/08/2025 तक कार्यालयीन समय में डाक के माध्यम से अथवा स्वयं उपस्थित होकर आवेदन कर सकते हैं, प्राप्त आवेदनों को ही गुणानुक्रम सूची में शामिल किया जावेगा। ई-मेल से भेजे गये आवेदन को मान्य नहीं किया जावेगा। वर्तमान में आफलाईन अथवा डाक के माध्यम से आवेदन स्वीकार किये जा रहे है। भविष्य में आवेदन स्वीकार करने की इस प्रक्रिया में आनलाईन पोर्टल तैयार होने पर आवश्यकतानुसार परिवर्तन संभावित होगा।
- 03. अंतिम तिथि तक महाविद्यालय में प्राप्त आवेदनों पर नियमानुसार मेरिट सूची तैयार की जावेगी।
- 04. प्राप्त आवेदनों की पदवार अनंतिम मेरिट सूची का प्रकाशन दिनांक 23/08/2025 को विश्वविद्यालय / महाविद्यालय के सूचना पटल व वेबसाईट पर प्रकाशित किया जावेगा। महाविद्यालयों की वेबसाईट नहीं होने पर संबंधित जिले के अग्रणी महाविद्यालय की वेबसाईट में प्रकाशित किया जाना अनिवार्य होगा। वेबसाइट में विस्तृत विवरण भी अपलोड किया जायेगा।
- 05. गुणानुक्रम अनुसार अनंतिम सूची में दावा आपत्ति की तिथि <u>27/08/2025</u> तक होगी।
- 06. अंतिम सूची का प्रकाशन दिनांक <u>30/08/2025</u> को किया जावेगा जिसका अवलोकन महाविद्यालय की वेबसाईट अथवा सूचना पटल में किया जायेगा।
- 07. आमंत्रित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के समय इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि संबंधित के विरूद्ध पुलिस / न्यायालय में कोई अपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है। साथ ही अभ्यर्थी किसी अन्य शासकीय / अर्द्धशासकीय सेवा में नहीं है एवं पूर्व में किसी विश्वविद्यालय / महाविद्यालय में शिकायत / कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने के आधार पर अभ्यर्थी की सेवायें समाप्त नहीं की गई है।
- 08. आवेदन उपरांत संबंधित आमंत्रित चयनित अभ्यर्थी यदि समय सीमा में कर्तव्य स्थल पर उपस्थित नहीं होता है, तो उसे उस दशा में अगले चरणों में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।
- 09. अतिथि व्याख्याताओं एवं अन्य की सेवायें भविष्य में नियमितीकरण का आधार नहीं होगा।

कार्यालय-प्राचार्य,शासकीय नवीन महाविद्याय झलमला जिला-कबीरधाम (छ.ग.)

10. अतिथि व्यवस्था के अंतर्गत देय मानदेय निम्नानुसार होगा :--

क्र.	विवरण	अतिथि व्याख्याता	अतिथि शिक्षण सहायक		
(अ)	40-45 मिनट के एक व्याख्यान के लिय	à'			
1	40-45 मिनट के एक व्याख्यान के लिये	400/-	300/-		
2	चार कालखंडो के लिये प्रतिदिन अधिकतम मानदेय	1600 / - (41,600 / -प्रतिमाह अधिकतम)	1200 / - (30,000 / -प्रतिमाह अधिकतम)		
(ब)	60 मिनट के एक व्याख्यान के लिये				
3	60 मिनट के एक व्याख्यान के लिये	500/-	350/-		
4	चार कालखंडो के लिये प्रतिदिन अधिकतम मानदेय	2000 / - (50,000 / -प्रतिमाह अधिकतम)	1400 / - (35,000 / - प्रतिमाह अधिकतम)		
(स)	CONTROL OF THE PROPERTY OF THE				
5	विवरण	अतिथि ग्रंथपाल/क्रीड़ा अधिकारी	अतिथि ग्रंथपाल सहायक/अतिथि कीडा सहायक		
	दैनिक मानदेय (प्रति दिवस न्यूनतम 07 घंटा कार्य अवधि)	1600 / –प्रतिदिन (40,000 / –प्रतिमाह अधिकतम)	1200 / -प्रतिदिन (30,000 / -प्रतिमाह अधिकतम)		

11. आवेदक बंद लिफाफे के ऊपर पत्राचार का पता प्राचार्य

शासकीय नवीन महाविघालय झलमला , जिला – कबीरधाम छ. ग. पिन 491995 एवं आवेदित विषय / पद आवशयक रुप से लिखे।

- 12. इस विज्ञापन के तहत व्यवस्था किए गए अतिथि व्याख्याता एवं अन्य को महाविद्यालयीन स्थापना के अंतर्गत नहीं माना जायेगा और वे लोक-सेवक की विधि विहित परिभाषा के अंतर्गत लोक सेवक नहीं कहलायेंगे।
- 13. संस्थान में इस व्यवस्था के अंतर्गत कार्यरत, यदि लगातार 15 दिवस तक अनुपस्थित रहता है तो उनकी व्यवस्था स्वतः समाप्त हो जायेगी, जिसकी कार्यवाही संबंधित संस्था प्रमुख द्वारा की जावेगी।
- 14. इन्हें सर्वत्र अनुशासन बनाए रखना होगा तथा संस्था प्रमुख के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।
- 15. कक्षाओं के संचालन के साथ-साथ संस्था प्रमुख के निर्देशानुसार अध्यापन के अतिरिक्त कार्य यथा प्रवेश, परीक्षा, छात्रसंघ चुनाव, योजनाओं का संचालन, साहित्यिक एवं सांस्कृतिक कार्यकम, क्रीडा गतिविधियां, युवा उत्सव, आंतरिक परीक्षाओं का संचालन एवं मूल्यांकन, नैक मूल्यांकन संबंधी कार्यों में ये सहयोग प्रदान करेंगे।
- 16. यदि कार्य अविध के शैक्षणिक सत्र में इनकी अध्यापन कार्य संबंधी अथवा अन्य शिकायतें प्राप्त होती है तो सेवाएं तत्काल समाप्त की जा सकेगी तथा वे आगामी शैक्षणिक सत्रों में अध्यापन कार्य हेतु पात्र नही होंगे।

